कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर छ0ग0

दूरभाष न0 07752-225545 फैक्स न0 07752-225545 E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक / 695/प्रयास/2018-19/ बिलासपुर दिनांक 04/06/2018

फाउंडेशन प्रयास आवासीय विद्यालय बालक/बालिका बिलासपुर में अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2018-19

-: विज्ञप्ति :-

शैक्षणिक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिये मुख्य मंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय (बालक एंव बालिका) बिलासपुर के अंतर्गत **"फाउंडेशन प्रयास"** स्वीकृत सीट (बालक 75 बालिका 50 कुल 125) के लिये शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी के चयन के लिये **पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।** शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में कक्षा नवमी एवं वर्ष 2019-20 में कक्षा 10वीं के लिये शिक्षक उपलब्ध कराया जाना है। कक्षाओं का संचालन छ0ग0 बोर्ड के अंतर्गत परन्तु सी0बी0एस0ई0 पेटर्न के अनुसार किया जाना है, तथा छात्रों को नवमीं एवं दसवीं कक्षाओं के अध्यापन के साथ - साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना है।

1	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि -	25/06/2018 अपरान्ह 3.00 बजे
2	निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना	25/06/2018 अपरान्ह 5.00 बजे
3	पात्र पाये गये संस्थाओं का समिति के समक्ष एवं तकनीकी मूल्यांकन	26/06/2018 अपरान्ह 3.00 बजे
4	तकनीकी मूल्यांकन अतंर्गत संस्था के शिक्षकों द्वारा कक्षा प्रदर्शन (डेमो)	02 एवं 03/07/2018 प्रातः 11 बजे से सायं 05 बजे तक

प्रयास बालक एवं बालिका हेतु एक ही आवेदन एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय लिफाफा को खोलने की सूचना पृथक से दी जायेगी। आवेदन पत्र रू. 5000/- का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन स्वयं या स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर में जमा करना होगा। डाक विभाग की गडबड़ी के कारण विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नही होंगे। विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट **www.bilaspur.gov.in** का अवलोकन कर सकते हैं। प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति पर अग्रिम कार्यवाही किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह रूचि की अभिव्यक्ति आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के पत्र क्रमांक/91/प्रयास/2018-19/1775 दिनांक 21.05.2018 में दिये निर्देश/सलंग्न दिशा निर्देश (EOI) के अनुसार है, यदि इसमें कोई संशोधन शासन द्वारा किया जाता है, तो वह सभी को मान्य होगा।

कलेक्टर,
बिलासपुर (छ0ग0)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ0ग0

" रूचि की अभिव्यक्ति "

फाउंडेशन प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर हेतु अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्था का चयन –

वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020.

(दो वर्ष के लिये)

कलेक्टर

जिला – बिलासपुर छ0ग0

अंतर्वस्तु

1. पृष्ठभूमि 01

2. प्रयास कार्यक्रम तथा फाउंडेशन प्रयास कार्यक्रम 01

3. कार्यक्रम के संचालन का प्रकिया 01

4. विद्यालय जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है 01

5. सौंपे गये कार्य का उद्देश्य 02

6. कार्य क्षेत्र 02

7. कार्य प्रणाली 02

8. फैकल्टी की अनिवार्य आवश्यक योग्यतायें 03

9. कक्षा का आकार एवं विषय 03

10. सेवा की अवधि एवं अनुबंध की अवधि 03

11. महत्वपूर्ण प्रदेय 04

12. भुगतान प्रणाली 04

13. महत्वपूर्ण प्रदर्शन निर्देशक 05

14. सुरक्षा निधि 06

15. रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुतीकरण 07

16. गोपनीयता 07

17. चयन की विधि .... 07 एवं 08

18. पात्रता मापदंड 09

19. मूल्यांकन मापदंड .... 10 एवं 11

20. रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुतीकरण (जमा करने हेतु) 11

प्रारूप - 1: आवेदन फॉर्म का प्रारूप 12

प्रारूप - 2: प्री-क्वालिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट 13

प्रारूप - 3: दस्तावेज आधारित मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट 14

प्रारूप - 4: सीए प्रमाणपत्र का प्रारूप 15

प्रारूप - 5 (अ) वर्तमान फैकल्टी 16

प्रारूप - 5 (ब) प्रस्तावित फैकल्टी 16

प्रारूप - 6: वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप 16

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर छ0ग0

दूरभाष नं0 07752–225545 फैक्स नं0 07752–225545 E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

श ैक्षणिक वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 में प्रयास आवासीय विद्यालय (बालक / बालिका) बिलासपुर के अतंर्गत "फाउंडेशन प्रयास" में कक्षा 09वीं / 10वीं के लिये अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिये संस्था के चयन हेतु सदंर्भ की शर्तें –

पृष्ठभूमि

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत "प्रयास" आवासीय विद्यालय संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में गणित एवं जीव विज्ञान संकाय हेतु अध्यापन तथा JEE, NEET, PET एवं विधि (Clat) प्रवेश परीक्षाओं के लिये कोचिंग दी जाती है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन ने कक्षा 09वीं एवं 10वीं के लिये आवासीय कोचिंग सुविधा जो कि **"फाउंडेशन प्रयास"** के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया है।

2. प्रयास कार्यक्रम एवं "फाउंडेशन प्रयास" कार्यकम

प्रयास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिभावन एवं मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर अपना भविष्य बना सके। छात्रों के लिए सीटो का आरक्षण निम्नानुसार है:– अनुसूचित जन जाति – 50%, अनुसूचित जाति – 20%, पिछड़ावर्ग – 20 %, एवं सामान्य 10 %।

"फाउंडेशन प्रयास" कार्यकम – "फाउंडेशन प्रयास" कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कक्षा 09वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को कम आयु से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है।

3. कार्यक्रम के संचालन की प्रकिया

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र इन विद्यालयों में प्रवेशित किये जाते हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश बहु विकल्पीय प्रश्न आधारित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के पश्चात् मूलभूत सुविधायें जैसे भोजन एवं निवास विभाग द्वारा छात्रों को दी जाती है। कोचिंग संस्थाओं का चयन कक्षा नवमी एवं दशवीं की कक्षाओं के लिये तथा शिक्षण हेतु शिक्षक एवं अध्ययन सामग्री, के लिये किया जायेगा। सभी अध्ययन सामाग्री, मूल्यांकन प्रकिया एवं प्रारूप, टेस्ट तथा उससे संबंधित सामग्रियां भी चयनित संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। कक्षा नवमी में सम्मिलित फांउडेशन प्रयास के टॉप छात्रों में आधे छात्र कक्षा 11वीं के प्रयास कार्यकम में प्रवेश के लिये स्वतः पात्र होंगे।

4. विद्यालय जिसके लिये रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है –

क्र	विद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या
01	**"फाउंडेशन प्रयास"** आवासीय विद्यालय बिलासपुर	बालक 75 बालिका 50 कुल 125

प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के प्रत्येक बैच को चार कक्षा खंडो में विभक्त किया जायेगा। तथा प्रत्येक कक्षा खण्ड को एक विषय में फोकस किया जायेगा। जैसे – गणित, जीव विज्ञान, मानवशास्त्र (भाषा / विधि) छात्रों को विषय का आबंटन विभाग के द्वारा किसी स्वतंत्र तृतीय पार्टी के द्वारा साइकोमेट्रीक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। विषयों के आबंटन का उद्देश्य संबधित विषय में एक घंटे की अतिरिक्त कोचिंग प्रतिदिन देकर मजबूत आधार देना है। उदाहरण के लिये कक्षा 09वीं के जीव विज्ञान विषय के छात्रों को सी0जी0 बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषय पढ़ाये जायेंगे, परन्तु इन्हें जीव विज्ञान में प्रतिदिन अतिरिक्त कोचिंग दी जायेगी जिसके द्वारा वे विज्ञान ओलिम्पियाड में चयनित हो सके तथा नीट के लिये एक मजबूत आधार तैयार कर सकें।

5. सौपें गये कार्य का उद्देश्य –

चयनित संस्था को सौपें गये कार्य का उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परिक्षाओं के लिये तैयार कर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना हैं –

i. कक्षा नवमीं (शैक्षणिक सत्र 2018–2019) एवं कक्षा दसवीं (2019–2020) के लिए छात्रो को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

ii. विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए, NSTSE (राष्ट्र स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा) विज्ञान भौतिकी तथा गणित ओलिम्पियाड इत्यादि तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उन्हें सहयोग करना है।

iii. राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु छात्रों को तैयार करना हैं। जैसे IIT, NIT, IIIT, CFTI, CA, CS, ICWA एवं CLAT, MBA इत्यादि।

iv. संस्थाओं द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं कैरियर काउंसलर प्रदान किया जाना।

6. कार्य क्षेत्र

चयनित संस्था के कार्य का क्षेत्र निम्न है –

a. गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, हिन्दी इंग्लिश तथा छ0ग0 बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया कोई अन्य विषय का शिक्षण/कोचिंग, मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउंसलिंग प्रदान करना है।

b. वांछित योग्यताओं वाले शिक्षकों को उपलब्ध कराना।

c. अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन सामग्री, टेस्ट पेपर ऑन लाईन तथा ऑफ लाईन मोड में उपलब्ध कराना है।
उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री निर्धारित मापदंडो के अनुसार होनी चाहिये जिससे कि छात्र बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके।

d. छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का अवलोकन करना तथा कमजोर छात्रों/उनके कमजोर पक्षों पर फोकस करना है।

7. कार्यप्रणाली

शिक्षण एवं कोचिंग की कार्यप्रणाली निम्नानुसार हैं :–

a. न्यूनतम निर्धारित संयुक्त अवधि (घंटों) का शिक्षण प्रतिदिन करना। निर्धारित अवधि 24 घंटे प्रतिदिन हैं। इस अवधि में शिक्षक को 09वीं/10वीं की कक्षा लेनी हैं तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी भी करानी हैं।

b. प्राचार्य के द्वारा स्वीकृत की गई समय – सारणी के अनुसार 90 मिनट अवधि की 03 नियमित कक्षायें प्रतिदिन लगाना है। कक्षा समय – सारणी का निर्धारण चयनित संस्था द्वारा विद्यालय प्रबंधन तथा प्राचार्य के परामर्श से किया जायेगा।

c. प्रति दिवस शिक्षण में 2 घंटे प्रतिदिन की शंका समाधान कक्षा (डाउट क्लास) अनिवार्यतः कराना। यह कक्षा उसी शिक्षक को लेनी है जिसने संबंधित विषय पढ़ाया है।

d. कक्षा नवमी एवं दसवीं के विद्यार्थियों के लिये तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारूप में अर्द्ध मासिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक टेस्ट लेना है। प्रवेश परीक्षा से एक माह पूर्व सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुये एक परीक्षा लेनी है।

e. प्रत्येक बैच की प्रगति निम्न प्रकार से अवलोकित की जायेगी :–

   i. बैचवार आधारित
   ii. छात्रवार आधारित
   iii. विषयवार आधारित
   iv. सी.बी.एस.ई. के पैटर्न पर आधारित शैक्षणिक मापदंडों पर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन (CCE)

f. विद्यालय को सौंपे गये शिक्षक पूर्णकालिक रहेंगे तथा किसी अन्य से संबद्ध नहीं होंगें।

g. शिक्षको का प्रतिस्थापन (बदलना) सामान्यतः स्वीकार नहीं है। केवल विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की अनुमति से यह किया जा सकता हैं।

h. शिक्षक को तब प्रतिस्थापित किया जा सकता है जब उसके पक्ष में फीडबैक निर्धारित स्तर तक नहीं है। इसे दो सप्ताह के पूर्व सूचना के आधार पर किया जा सकता हैं। किसी भी स्थिति में शिक्षण/लेक्चर में व्यवधान स्वीकार्य नहीं हैं।

i. विद्यालय में सभी शिक्षकों को नियम तथा अनुशासन का पालन किया जाना हैं।

j. कक्षा में शिक्षण की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी का मिश्रण रहेंगी।

k. चयनित संस्था को शिक्षको के रहने की व्यवस्था विद्यालय/छात्रावास परिसर के बाहर स्वंय के व्यय् पर करनी होगी।

l. समय–समय पर आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के निर्देशों का पालन करना होगा।

8. शिक्षको के लिए अनिवार्य वांछित योग्यतायें –

शिक्षकों की वांछित योग्यतायें निम्नानुसार है :–

क्र	विषय	विज्ञान, (गणित एवं जीव विज्ञान) के शिक्षकों की संख्या प्रति विद्यालय	संबंधित विषय में अनिवार्यतः शिक्षण अनुभव तथा कालम 5 के अनुसार योग्यतायें	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4	5
1	गणित	01	03 वर्ष	किसी शासकीय संस्था से एम टेक
2	भौतिकी	01	03 वर्ष	किसी शासकीय संस्था से एम टेक
3	रसायन शास्त्र	01	03 वर्ष	किसी शासकीय संस्था से एम टेक/एम.एस.सी.
4	जीव विज्ञान	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में एम.एस.सी./एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. किसी शासकीय संस्था से
5	हिन्दी	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में किसी शासकीय संस्था से एम.ए.
6	अंग्रेजी	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में किसी शासकीय संस्था से एम.ए.
7	संस्कृत	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में किसी शासकीय संस्था से एम.ए.
8	सामाजिक अध्ययन	02	03 वर्ष	संबंधित विषय में किसी शासकीय संस्था से एम.ए.
9	मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउंसलर/कम्प्युटर	01	—	भारत सरकार/UGC द्वारा मान्य किसी विश्व विद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक
	योग	10		

9. कक्षा का आकार तथा विषय

कक्षा का आकार प्रत्येक कक्षा खण्ड में 45 छात्र से अधिक नही होने चाहिये। हालाकि प्रत्येक कक्षा खण्ड में पाठ्यक्रम तथा पढ़ाये गये विषय समान होंगे। परन्तु प्रत्येक कक्षा खण्ड का झुकाव एवं दृष्टिकोण निर्धारित विषय की ओर रहेगा। विषय निम्नानुसार हैं :–

a. गणित
b. जीव विज्ञान
c. वाणिज्य
d. मानवशास्त्र (भाषा तथा विधि)

विद्यार्थियों को विषय/कक्षा खण्ड का आबंटन विभाग के द्वारा साइकोमेट्रिक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। यह मूल्यांकन विभाग द्वारा चयनित किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा किया जायेगा। विद्यार्थियों के विषय/कक्षा खण्ड के आबंटन में कोचिंग संस्था की कोई भूमिका नही रहेगी। हालाकि विद्यार्थियों के विषय/कक्षा खण्ड का पुनः आबंटन विभाग द्वारा समय–समय पर उनके साइकोमेट्रिक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

10. सेवा–काल तथा अनुबंध काल

सेवा–काल वर्तमान शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने की तिथि से प्रारंभ होगा तथा जिस महिने 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा समाप्त होगी उससे तीन माह बाद समाप्त होगा। वार्षिक परीक्षा के पूर्ण होने के बाद कोचिंग संस्था अपने शिक्षकों को कार्य मुक्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगी केवल गणित के 01 शिक्षक, जीव विज्ञान के 01 शिक्षक तथा 01 काउंसलर को छोड़कर। सेवा की अवधि के पश्चात सभी संस्थायें अपने शिक्षकों को कार्य मुक्त कर सकती है।

चयनित संस्था को विभाग के साथ एक अनुबंध करना होगा इस अनुबंध का अंत सेवाकाल से तीन माह पश्चात होगा।

11. महत्वपूर्ण प्रदेय

a. अनिवार्य वांछित योग्यताओं से युक्त शिक्षक

b. बैचवार, कक्षा–खंडवार, छात्र–वार, विषयवार, प्रगति रिपोर्ट जो कि मासिक/त्रैमासिक/अर्द्ध–वार्षिक/ प्री–वार्षिक, प्री. बोर्ड, टेस्ट तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

c. कक्षा 09वीं एवं 10वीं के छात्रों की परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा का परिणाम।

d. सभी छात्रों तथा शिक्षकों के उपस्थिति रिकार्ड जिनमें प्रति शिक्षक प्रतिमाह शिक्षण के घंटे तथा प्रतिमाह शिक्षण के कुल संचयी (Cumulative) घंटे सम्मिलित होंगे।

12 भुगतान प्रणाली

चयनित संस्था का भुगतान सात किश्तों में किया जायेगा। निम्न तालिका में प्रदर्शित प्रदेयो के प्रदान तथा लक्ष्य (milestone) की प्राप्ति के आधार पर किश्तें जारी की जाऐंगी।

किश्त संख्या	अनुबंध राशि का (प्रतिशत)	माइलस्टोन (लक्ष्य)	महत्वपूर्ण प्रदेय /दस्तावेजीकरण
A	B	C	D
1	15%	माइलस्टोन 01: घटना : सभी शिक्षको की तैनाती अंतिम समय सीमा : प्रथम शैक्षणिक वर्ष की 31 अक्टुबर की तिथि	1. बैंक गांरटी जो कि कुल अनुबंध राशि का 15 प्रतिशत है की प्रस्तुति 2. सहायक आयुक्त द्वारा प्रमाणित प्रदेय 11 (a)
2	10%	माइलस्टोन 02: घटना : कक्षा 09वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणामो की घोषणा अंतिम समय सीमा : प्रथम शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च की तिथि	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (c) 3. प्रदेय 11 (d)
3	15%	माइलस्टोन 03: घटना : विभाग द्वारा आयोजित कक्षा 09वीं की परीक्षा का परिणामों की घोषणा अंतिम समय सीमा : प्रथम शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च की तिथि	1. प्रदेय 11 (c)
4	10%	माइलस्टोन 04: घटना : आवधिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा अंतिम समय सीमा : द्वितीय शैक्षणिक वर्ष की 31 जुलाई की तिथि	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (d)
5	15%	माइलस्टोन 06: घटना : विभाग द्वारा आयोजित कक्षा 09वीं की मध्य सत्रीय परीक्षा के परिणामों की घोषणा अंतिम समय सीमा : द्वितीय शैक्षणिक वर्ष की 31 अक्टुबर की तिथि	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (d)
6	10%	माइलस्टोन 05: घटना : द्वितीय शैक्षणिक सत्र में आयोजित विज्ञान ओलिम्पियाड के परिणामों की घोषणा अंतिम समय सीमा : द्वितीय शैक्षणिक वर्ष की 28 फरवरी की तिथि	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (c) 3. प्रदेय 11 (d)
7	25%	माइलस्टोन 07: घटना : कक्षा 10वीं बोर्ड के परिणामों की घोषणा तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अंतिम समय सीमा : द्वितीय शैक्षणिक वर्ष के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर	1. प्रदेय 11 (c) 2. प्रदेय 11 (d)

माइलस्टोन की प्राप्ति तथा प्रदयों के प्रदान का मूल्यांकन प्रयास विद्यालयों से स्वतंत्र एक कमेटी के द्वारा किया जायेगा। सभी भुगतान संस्था के प्राचार्य, कमेटी, सहायक आयुक्त की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात किया जाएगा। 7वीं किश्त (अंतिम भुगतान) कलेक्टर की स्वीकृति के बाद जारी की जायेगी।

13. मुख्य प्रदर्शन सूचक (KPI) (Key performance Indicators)

संस्था को भुगतान लक्ष्य (माइलस्टोन) की प्राप्ति के अनुसार होंगे। भुगतान में समायोजन KPI आधारित होंगे।

KPI निम्न होंगे :–

KPI-1:– शिक्षकों द्वारा शिक्षण के घंटे :–

यह निम्न प्रकार से गणना की जायेगी –

(निर्धारित अवधि में सभी शिक्षको द्वारा शिक्षण के वास्तविक घंटे की संख्या) ÷ (निर्धारित अवधि में शैक्षणिक दिवसों की संख्या X अनुबंध के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे)

टीप – निर्धारित अवधि का अर्थ है अवधि जिसके लिये भुगतान की गणना की जा रही है।

KPI-2:–छात्रों की आवधिक (Periodic Examination) परीक्षाओं के परिणाम

आवधिक परीक्षा का अर्थ, (त्रैमासिक, अर्द्ध–वार्षिक तथा प्री–बोर्ड/प्री–फाइनल परीक्षा) है। आवधिक परीक्षा में प्रश्न पिछले पांच वर्षों की सबंधित प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों के समान या उन्ही प्रश्नों में से होंगे। तथा आवधिक परीक्षाओं का मूल्यांकन विभाग द्वारा जांच के अनुसार किया जायेगा।

इस KPI की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी –

संबंधित वर्ग के अनुसार, न्यूनतम कट–आफ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ÷ बैच में कुल छात्रों की संख्या

टीप – इस KPI के लिये कट ऑफ अंक 75 प्रतिशत हैं।

KPI-3:–कक्षा 09 वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा या कक्षा 10 वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा के परिणाम ।

यह KPI निम्न प्रकार से गणना कि जायेगी –

प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के द्वारा संबंधित वर्ग के अनुसार न्यूनतम कट–ऑफ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की सख्या ÷ बैच में कुल छात्रों की सख्या

टीप – इस KPI के निर्धारित कट ऑफ अंक 80% हैं ।

KPI - 4 :– विज्ञान, भौतिकी तथा गणित ओलिम्पियाड के छात्रों के परिणाम

इस KPI की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी –

(1000 रैंक के अन्दर आने वाले छात्रों की संख्या) ÷ (छात्रों की बेन्चमार्क संख्या)

टीप – इस KPI के लिये छात्रों की निर्धारित बेन्चमार्क संख्या 40 हैं। यदि किसी छात्र को एक परीक्षा में गिन लिया गया है तो उसे इस KPI की अन्य परीक्षा में नही गिना जायेगा।

KPI - 5 :– शिक्षकों का प्रतिस्थापन –

शिक्षकों के प्रत्येक प्रतिस्थापन पर (कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित प्रतिस्थापन को छोड़कर) या प्राचार्य द्वारा निर्देशित कार्य क्षेत्र में किसी चूक होने पर रू. 25000/–. की कटौती की जायेगी।

इस KPI की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी –

(प्रतिस्थापनों की संख्या "या" कार्य क्षेत्र की शर्तों में चूक, KPI-1 से KPI - 4 को छोड़कर) X (25000.00)

टीप – अनुबंध के प्रथम तीन महिनों में शिक्षकों का प्रतिस्थापन स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि ऐसा होता है तो 100000.00 रू. प्रतिस्थापन की पेनाल्टी लगेगी।

यदि , KPI-1, KPI-2, KPI-3 और , KPI-4 का मान 01 से अधिक है तो गणना के लिये उसे 01 माना जायेगा। संस्था को भुगतान की राशि का समायोजन KPI की प्राप्ति के अनुसार होगा। , KPI के लिये किश्तों का समायोजन निम्न प्रकार से किया जायेगा –

किश्त संख्या	माइलस्टोन	KPI जिनका समायोजन किया जाना है	भुगतान
1.	माइलस्टोन–1	निरंक	प्रथम किश्त की पूर्ण राशि
2.	माइलस्टोन–2	KPI-1 KPI-2 KPI-3 KPI-5	द्वितीय किश्त की राशि X KPI-1, KPI-2, तथा KPI-3 का औसत (–) KPI - 5
3.	माइलस्टोन–3	KPI-3	तृतीय किश्त की राशि X KPI-3 (–) KPI -5
4.	माइलस्टोन–4	KPI-1 KPI-2 KPI-5	चतुर्थ किस्त की राशि X KPI-1 तथा KPI-2 का औसत (–) KPI-5
5.	माइलस्टोन–5	KPI-1 KPI-2 KPI-5	पांचवी किश्त की राशि X KPI-1 तथा KPI-2 का औसत (–) KPI-5
6.	माइलस्टोन–6	KPI-1 KPI-2 KPI-4 KPI-5	छठवीं किश्त की राशि X KPI-1, KPI-2 तथा KPI-4 का औसत (–) KPI-5
7.	माइलस्टोन–7	KPI-1 KPI-3 KPI-5	सातवीं किश्त की राशि X KPI-1 तथा KPI-3 का औसत (–) KPI-5

किसी व्यक्तिगत किश्त का योग भुगतान प्रणाली पैराग्राफ की तालिका में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

14. सुरक्षा निधि

संस्था द्वारा 2.00 लाख की सुरक्षा निधि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर के पक्ष में देय होगा। जिन संस्थाओं का अंतिम चयन नही होगा, उन्हें बैंक ड्राफ्ट चयन प्रक्रियापूर्ण होने के पश्चात विमुक्त कर दिया जाएगा। चयनित/अनुबंधित संस्था का बैंक ड्राफ्ट बैंक गारंटी प्राप्त होने पर/ अनुबंध अवधि समाप्त होने पर विमुक्ति योग्य होगा।

इसके मानदंडों में यदि परिवर्तन किया जाता है तो उसका उल्लेख उस वर्ष हेतु प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति में किया जाएगा।

15. रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुतीकरण

प्रस्ताव को निम्न रूप से प्रस्तुत किया जायेगा :-

a. प्रस्ताव में एनक्जर (Annexures) द्वारा वर्णित सभी दस्तावेज सम्मिलित हो।

b. 'रूचि की अभिव्यक्ति' को तैयार करने में उम्मीदवार से अपेक्षित है कि अपने दस्तावेजों का विस्तृत अवलोकन करें। दस्तावेज में पाई गई कमियों के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

c. आवेदक को 'रूचि की अभिव्यक्ति' को तैयार और प्रस्तुत करने का व्यय स्वयं वहन करना होगा तथा विभाग इस व्यय के प्रति उत्तरदायी नही होगा चाहे चयन प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। विभाग किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है उसे चयन से पूर्व किसी भी समय चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का पूर्ण अधिकार है तथा इसमें वह आवेदक के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

d. आवेदक के एक अधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक दस्तावेज में मोहर के साथ हस्ताक्षर करना है। अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र लिखित रूप में होगा तथा प्रस्ताव में संलग्न होगा।

e. 'रूचि की अभिव्यक्ति' में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा मोहर होना चाहिए।

f. प्रस्ताव के लिफाफे एवं अन्य पैकेट उचित रूप से सीलबंद या सही पता अंकित नहीं होने पर गुमने तथा पहले ही खोले जाने की जवाबदेही विभाग की नहीं होगी।

g. 'रूचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित करने वाले नोटिस में लिखित पते एवं निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्ताव विभाग तक पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्ताव विभाग द्वारा विलंबित एवं अस्वीकार घोषित कर दिये जायेंगे तथा बिना खोले ही वापस कर दिये जायेंगे।

16. गोपनीयता

a. 'रूचि की अभिव्यक्ति' खोले जाने के समय से चयन की घोषणा के समय तक, आवेदक विभाग से अपने 'रूचि की अभिव्यक्ति' के मूल्यांकन के विषय में संपर्क नहीं करेगा। रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के मूल्यांकन या मूल्यांकन में सुझावों के विषय में आवेदकों या किसी अन्य अनाधिकृत संस्था के संबंध में जानकारी चयन की घोषणा से पूर्व नहीं दी जायेगी।

b. आवेदक या उनके प्रतिनिधि यदि इक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट (EOI) के मूल्यांकन को लेकर विभाग को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो उनके EOI को निरस्त कर दिया जाएगा।

17. चयन की प्रक्रिया

a. आवेदकों को अपने प्रस्ताव में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए उपयुक्त प्रारूप दिखाना होगा। प्रस्तावित नमूना (Model) में दृष्टिकोण (Model) एवं कार्यप्रणाली Model के संवर्धन के लिए उन्नत उपाय, उन्नत तकनीकों तथा प्रौद्यौगिकी का उचित उपयोग सम्मिलित होना चाहिये। प्रस्तावित Model का मूल्यांकन दस्तावेज तथा प्रस्तुतीकरण पर आधारित होगा।

b. दो चरणों की प्रक्रिया जिसमें तकनीकी योग्यता तथा उसके बाद गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित तंत्र (QCBS) का पालन किया जाएगा तथा तकनीकि एवं वित्तीय प्रस्तावों को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में लिया जाएगा। तकनीकि मूल्यांकन को पहले तथा उसके बाद वित्तीय प्रस्तावों को खोला जायेगा।

c. विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी कि उपरोक्त प्रस्ताव वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं या नहीं। यह तय करने के लिये कमेटी आवेदको द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करेगी और उसे इस EOI में वर्णित वांछित आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करेगी। यदि वांछित दस्तावेजों का प्रमाण नहीं दिये गये तो आवेदन अस्वीकार किये जा सकते हैं।

d. प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। कमेटी आवेदकों से उनके प्रस्तावों के स्पष्टीकरण हेतु बैठक कर सकती है। इस प्रक्रिया के अलावा कमेटी से चर्चा हेतु किसी भी अन्य प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।

e. इस दस्तावेज में वर्णित आवश्यकताओं तथा मापदंडो के अनुसार ही प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा।

f. तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा :–

- दस्तावेज आधारित मूल्यांकन (70 अंक) :– दस्तावेज आधारित मूल्यांकन निर्धारित अंकन मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा।
- आवेदको द्वारा प्रस्ताव की प्रस्तुति (30 अंक) :– कमेटी EOI के चयनित आवेदको को एक प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करेगी। इस प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य आवेदको के प्रस्तावित Model तथा उनके प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओ को मूल्यांकन कमेटी के सामने प्रस्तुत करना हैं। कमेटी के सदस्यों द्वारा आवेदकों का मूल्यांकन उनके कोचिंग देने की क्षमता के अनुसार होगा।
- आवेदको को तकनीकी मूल्यांकन के बाद अंतिम गणना (Score) दस्तावेज आधारित मूल्यांकन तथा प्रस्तुतीकरण स्कोर के आधार पर दिया जाएगा।

g. तकनीकी बिड के मूल्यांकन के बाद, वित्तीय बिड खोला जायेगा।

h. **आवेदकों के ओवरआल** स्कोर की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी :–

न्यूनतम मूल्यांकित वित्तीय प्रस्ताव ;Fm को अधिकतम वित्तीय स्कोर (Sf) 100 दिया जाएगा।

अन्य प्रस्तावो के वित्तीय स्कोर (Sf) के सूत्र की गणना निम्न प्रकार से की जाऐगी –

$Sf = 100xFm/F$,

जिसमें Sf = वित्तीय स्कोर,

Fm = न्यूनतम मूल्य,

F = प्रस्ताव का मूल्य,

तकनीकी (T) तथा वित्तीय (P) प्रस्तावों को दिया गया भार निम्न होगा–

T = 70%

P = 30%

प्रस्तावों की रैंकिंग उनकी संयुक्त तकनीकी (St) तथा वित्तीय (Sf) स्कोरों, भारों का उपयोग (T = तकनीकी प्रस्तावों को दिया गया भार, P = वित्तीय प्रस्ताव को दिया गया भार, T+P = 1) निम्न प्रकार से की जायेगी।

$S = St \times T\% + Sf \times P\%$

i. यदि दो या अधिक आवेदकों को निर्णायक मूल्यांकन में बराबर स्कोर मिलता है। तो कार्य न्यूनतम मूल्य वाले आवेदक को दिया जाएगा।

j. संयुक्त उद्यम/संघ वाले प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हैं।

k. यदि किसी फैंचाइजी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो प्राथमिक फैंचाइजर द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उसके साथ अनुबंध किया जाएगा।

l. तकनीकी बिडो को निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा।

m. वित्तीय प्रस्ताव केवल उन संस्थाओं के खोले जाएंगे जिन्होंने तकनीकी मूल्यांकन मापदंण्ड के न्यूनतम 70% अंक प्राप्त किये हों।

n. यदि तकनीकी मूल्यांकन में किसी संस्था को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त नहीं होते है तो शीर्ष तीन संस्थाओं को वित्तीय बिड के लिए लिया जाऐगा। यदि केवल एक या दो संस्थायें है तो न्यूनतम अंक न प्राप्त करने वाली संस्थाओं को भी लिया जाऐगा।

o. पहली किश्त जारी होने की बैंक गांरटी प्राप्त होने के बाद चयनित बिडर की अमानती राशि लौटा दी जायेगी। अन्य बिडरों की अमानती राशि चयन प्रकिया समाप्त होने के 15 दिनो के बाद लौटा दी जाऐगी।

p. प्रथम किश्त के विरूद्ध प्राप्त बैंक गांरटी संस्था की सेवा को सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा रखी जायेगी, बैंक गांरटी की अवधि अनुबंध समाप्ति की तिथि से तीन माह बाद तक रहेगी।

18. पात्रता मापदण्ड –

यह प्रकिया निम्न प्रकार से सहयोगी दस्तावेजो के प्रस्तुतीकरण तथा छटनी और चयन के आधार पर होगी। दस्तावेज आधारित मूल्यांकन जो कि मूल्यांकन मापदण्ड में लिखित है के आधार पर अंक दिये जाऐंगे। वांछित योग्यता प्राप्त न करने वाले आवेदन निरस्त कर दिये जाऐंगे।

क्र	विशेष	न्यूनतम पात्रता मानदण्ड	आवश्यक दस्तावेज
1	स्वामित्व संस्था सहभागिता (पार्टनरशिप) संस्था जो कि भारतीय सहभागिता (पार्टनरशिप) अधिनियम में पंजीकृत है कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम में सम्मिलित हैं ट्रस्ट जो ट्रस्ट अधिनियम में पंजीकृत हैं।	कम से कम 3 वर्षो से अस्तित्व में हैं।	स्वामित्व के लिए – संबधित नियम के अंतर्गत कोचिंग देने का लाइसेंस हो। पार्टनरशिप – संस्थाओ के रजिस्ट्रार के द्वारा पंजी. प्रमाणपत्र। सोसायटी – सोसायटी के रजिस्ट्रार तथा उपनियमों के द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र। ट्रस्ट – ट्रस्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीकरण का प्रमाणपत्र। कम्पनी – कम्पनी के रजिस्ट्रार, Memorandum and Articles of Association के द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
2	प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग में पिछले 3 वर्षो से सम्मिलित है (इस EOI मे लिखित)	300 छात्रों को पिछले 3 वर्षो से प्रतिवर्ष कोचिंग दी हो	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें प्रति वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाणित किया गया हो।
3	इस EOI में संदर्भित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग से प्राप्त टर्नओवर	विगत तीन वर्षों से कोचिंग संस्थाओं का वार्षिक टर्नओवर औसत 50.00 लाख होना अनिवार्य है।	पिछले 03 वर्षों के संपरिक्षित वित्तिय विवरण सभी अनुलग्नकों के साथ। कोचिंग गतिविधियो के लिए – एक चार्टड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें कोचिंग तथा परीक्षाओं से प्राप्त टर्नओवर हो।
4	शिक्षको की संख्या	EOI में वर्णित न्यूनतम 10 शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न विषयो के लिए।	स्व–प्रमाणपत्र जिसमें नाम योग्यता तथा शिक्षकों के अनुभव के वर्ष हो।
5.	मान्य PAN/Service Tax/GST नम्बर जो सर्विस टैक्स की फाइलिंग में लगते हैं।	पिछले तीन वर्षो के Income Tax Filing एवं Service Tax Return	1. PAN Card की Copy 2. Service tax registration certificate – valid printout of GSTN from the GST portal of Government of India. 3. Copy of service tax returns for past 3 years. 4. Copy of income tax returns for past 3 years.

19. मूल्यांकन मापदण्ड

तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन दस्तावेज आधारित पैरामीटर तथा प्रस्तुतीकरण आधारित पैरामीटर के आधार पर किया जायेगा। दस्तावेज आधारित पैरामीटर का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

क्र.	पैरामीटर	अधिकतम अंक	स्कोरिंग का प्रारूप	प्रमाणक दस्तावेज
1	इस EOI में लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के वर्षों के अनुभव	15	प्रथम 3 वर्षों के लिए – 03 अंक तथा उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए – 01 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा 18 के क्र–01 अनुसार
2	इस EOI में वर्णित कोचिंग से प्राप्त टर्नओवर	15	प्री – योग्यता प्राप्त करने हेतु टर्नओवर – 03 अंक तथा उसके बाद प्रत्येक दस लाख हेतु – 01 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा 18 के क्र–3 के अनुसार
3	कोचिंग संस्थान में पिछले 3 वर्षों में छात्रो की औसत संख्या	10	प्री–योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हेतु – 05 अंक, उसके ऊपर प्रत्येक 100 छात्रों पर – 01 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा – 18 के क्र–02 के अनुसार
4	कोचिंग संस्थान में पिछले 03 वर्षों में कक्षा 10वीं में आठ सी0जी0पी0ए0 या 80% अंक तक चयनित छात्रों की औसत संख्या	10	प्रथम 300 छात्रों के लिए – 05 अंक उसके बाद 300 छात्रों के ऊपर प्रत्येक 50 छात्रों के लिए – 01 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा – 18 के क्र– 2 के अनुसार
5.	शिक्षकों की संख्या	10	प्रथम 10 शिक्षकों हेतु – 02 अंक प्रथम 10 शिक्षकों के ऊपर प्रत्येक 01 शिक्षक पर – 01 अंक	स्व–प्रमाणित सूची जिसमें शिक्षकों के नाम, योग्यता तथा शिक्षण के वर्षो का अनुभव।
6.	छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित कोचिंग संस्था	10	प्रथम 05 वर्षों के लिये 02 अंक प्रथम 05 वर्षों के ऊपर प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा – 18 के क्र– 01 के समान या नोटरी द्वारा तथ्य को प्रमाणित करता हुआ कोई अन्य अधिकृत दस्तावेज

संस्था जो पात्रता पूर्व के मापदण्डो को पूरा करते है को प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया जाएगा। यदि आवेदकों की संख्या 05 से अधिक है तो, दस्तावेज आधारित मूल्यांकन मे शीर्ष 5 संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण के लिये बुलाया जाएगा। प्रस्तुतीकरण आधारित मूल्यांकन के पैरामीटर निम्न है :–

क्र.	पैरामीटर	अधिकतम अंक	स्कोरिंग का प्रारूप	प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
7	प्रस्तावित शिक्षक का विषय–ज्ञान तथा विषय पर उसकी समझ और अधिकार	10	विभाग द्वारा गठित टीम तथा मूल्यांकन के पैरामीटर पर आधारित	प्रस्तुतीकरण पर आधारित
8	पाठ्य सामग्री हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी	05	विभाग द्वारा गठित टीम तथा मूल्यांकन के पैरामीटर पर आधारित	पाठ्य सामग्री को Soft copy (non-copyrighted) तथा Online पाठ्य सामाग्री तथा पाठ्य सामाग्री की हार्ड कापी
9	दिये गये कार्य का निष्पादन करने हेतु विस्तृत कार्य योजना	05	विभाग द्वारा गठित टीम तथा मूल्यांकन के पैरामीटर पर आधारित	EOI के साथ आवेदक द्वारा जमा की गई कार्य योजना
10	प्रस्तावित शिक्षक के गुण	10	विभाग द्वारा गठित टीम तथा मूल्यांकन के पैरामीटर पर आधारित	EOI के साथ दी गई प्रस्तावित शिक्षकों की सूची

20. EOI का प्रस्तुतीकरण (जमा करना)

a. तकनीकी प्रस्ताव पात्रता तथा मूल्यांकन हेतु दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में डाले जाए तथा उसमें "तकनीकी प्रस्ताव" लिखा हो। वित्तीय प्रस्ताव मूलरूप में एक अन्य सीलबंद लिफाफे में डाला जाए उसमें लिखा जाए "वित्तीय प्रस्ताव" साथ ही चेतावनी लिखी जाए "इसे तकनीकी प्रस्ताव के साथ ना खोला जाए"। उपरोक्त दोनों लिफाफे एक बड़े सीलबंद लिफाफे में डाले जाऐंगे। इस बड़े लिफाफे में लिखा जाए की **"किसी अधिकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति में न खोले"** तथा "विद्यालय का नाम जिसके लिए प्रस्ताव जमा किया गया है . . . . तथा विषय . . . . " यदि लिफाफे उपरोक्तानुसार जमा नहीं किये गये हैं, तो उनके गुमने या समय से पहले खोले जाने पर विभाग उत्तरदायी नही होंगा। ऐसी परिस्थिति में प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा। यदि वित्तिय प्रस्ताव को अलग सीलबंद लिफाफे में नही दिया जायेगा तो प्रस्ताव को अजवाबदेह माना जाएगा तथा निरस्त कर दिया जाएगा।

b. निर्धारित प्रारूप मे ही सभी दस्तावेजो को जमा किया जाए। आवेदक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी संबंधित जानकारियां भरी गई हैं।

c. सभी दस्तावेजों को क्रम मे अंकन किया जाए तथा उनका संदर्भ क्रमांक एनक्जर (Annexures) में दिया जाए। यदि पृष्ठ संख्या को एनक्जर (Annexures) से सही ढंग से लिंक नहीं किया गया तो पैरा मे अंक नहीं दिये जाएंगे।

प्रारूप–1 आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र.	ब्यौरा	विवरण
1.	संस्था/विद्यालय जिसके, लिए आवेदन किया गया है ।	
	विषय जिसके लिये आवेदन किया गया हो	
2	आवेदक का नाम	
	विधिक प्रस्थिति (लीगल स्टेटस)	
	पंजीकृत कार्यालय	
	दूरभाष कमांक एवं मोबाईल नम्बर	
	ई–मेल पता	
3.	मुख्य अधिकारी (संस्था प्रमुख) का नाम	
	पता	
	दूरभाषक्र एवं मोबाईल नम्बर	
	ई–मेल पता	
4.	PAN	
	सेवा कर पंजीकरणक्र–	
	GST पंजीकरणक्र (वैकल्पिक)	
5.	क्या किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है, (यदि हाँ, तो किसके द्वारा)	

प्रारूप–2 पूर्व पात्रता हेतु जांच सूची

क्र	विवरण	न्यूनतम पात्रता मापदण्ड	आवश्यक दस्तावेज	संलग्न पृष्ठक्र ....से पृष्ठ क्र. ....तक
1.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग बिलासपुर (छ.ग.) के पक्ष में 5000/– रूपये का निविदा शुल्क	–	मांग पत्र मूल रूप में	
2.	2,00,000/– रूपये की अमानती राशि मांग–पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में आवश्यक है।	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बिलासपुर (छ.ग.) के पक्ष में मांग पत्र	मांग पत्र मूल रूप में	
3.	स्वामित्व संस्था, सहभागिता संस्था जो कि भारतीय सहभागिता अधिनियम में पंजीकृत हैं कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम में सम्मिलित है ट्रस्ट जो ट्रस्ट अधिनियम में पंजीकृत है।	न्यूनतम 03 वर्षों से अस्तित्व में हो	**स्वामित्व हेतु** – संबंधित नियम के अनुसार कोचिंग देने का लाइसेंस। **सहभागिता** – संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र। **सोसायटी** – सोसायटियों के रजिस्ट्रार तथा उपनियमों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र **ट्रस्ट** – ट्रस्टों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन का प्रमाण। **कम्पनी** – कम्पनी के रजिस्ट्रार, Memorandum and Articles of Association के द्वारा जारी प्रमाणपत्र।	
4.	(इस EOI में सूचीबद्ध किये जाने के अनुसार) प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में संलग्न	पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 300 छात्रों को कोचिंग दी हो।	एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा छात्रों की संख्या एवं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रमाणित करता हुआ प्रमाण पत्र।	
5.	इस EOI में संदर्भित कक्षाओं की कोचिंग गतिविधियों से प्राप्त लाभ (टर्नओवर)	संबंधित विषयों में कोचिंग के द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक टर्नओवरः पिछले 03 वर्षों के दौरान 50 लाख	पिछले 3 वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय विवरण सभी अनुलग्नकों के साथ। कोचिंग के लियेः चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी कोचिंग गतिविधियों तथा परीक्षाओं से प्राप्त लाभ (टर्नओवर) का प्रमाण पत्र	
6.	शिक्षकों की संख्या	EOI में सूचीबद्ध विषयों के 10 शिक्षक	स्व – प्रमाणित सूची जिसमें नाम योग्यता तथा शिक्षकों के अनुभव के वर्षों की संख्या हो।	
7.	वैद्य PAN/सेवाकर/GST No regular in Filing of Service tax	पिछले 3 वर्षों के आयकर एवं सेवा कर रिटर्न की फाईलिंग	1. पैन कार्ड की कापी 2. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं GST Portal से GSTN का मान्य प्रिंटआउट। 3. पिछले 03 वर्षों के सेवाकर रिटर्न की प्रति। 4. पिछले 03 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति।	
8.	पैरा 15(d) में दी गई शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि का अधिकार	–	मूल रूप में प्रतिनिधि का अधिकार का दस्तावेज	

प्रारूप–3 दस्तावेज आधारित मूल्यांकन हेतु जांच सूची

क्र	पैरामीटर	प्रमाणित दस्तावेज	संलग्न पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. .. तक
1.	कोचिंग प्रतियोगी परीक्षा के अनुभव के वर्षों की संख्या EOI के अनुसार	स्वामित्व के लिए: संबंधित नियम के अनुसार कोचिंग लेने का लाइसेंस। **सहभागिता:** संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र। **सोसायटी:** सोसायटियों के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र **ट्रस्ट:** ट्रस्टों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीकरण का प्रमाण। **कम्पनी** – कम्पनी के रजिस्ट्रार, Memorandum and Articles of Association के द्वारा जारी प्रमाणपत्र।	
2.	इस EOI के अनुसार कोचिंग गतिविधियों से प्राप्त लाभ (टर्नओवर)	पिछले 3 वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय विवरण सभी अनुलग्नकों के साथ। कोचिंग गतिविधियों हेतु विभिन्न विषयों की कोचिंग से प्राप्त लाभ (टर्नओवर) को प्रमाणित करता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा प्रमाणपत्र	
3.	पिछले 3 वर्षों के दौरान कोचिंग संस्था में छात्रों की औसत संख्या (इस EOI के अनुसार परीक्षाओं के लिए)	प्रत्येक वर्ष छात्रों की संख्या तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को प्रमाणित करता हुआ चार्टड अकाउंटेट के द्वारा जारी प्रमाणपत्र (प्रारुप–4 के अनुसार)	
4.	इस EOI के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की औसत संख्या	प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को चार्टड अकाउंटेट द्वारा प्रमाणपत्र (प्रारुप–4) के अनुसार)	
5.	शिक्षकों की संख्या	स्व–प्रमाणित सूची जिसमें नाम, योग्यता तथा शिक्षकों के अनुभव के वर्षों की संख्या हो। (प्रारूप–5 ए. के अनुसार)	
6.	छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित कोचिंग क्लास	क. 01 में उल्लेखित या आवश्यक दस्तावेज जो नोटरी के द्वारा प्रमाणित हो।	
7.	प्रस्तावित शिक्षक का ज्ञान तथा विषय पर उनकी समक्ष तथा अधिकार	प्रस्तुतीकरण पर आधारित	अप्रासंगिक (not Applicable)
8.	पाठ्य सामग्री: हार्ड तथा साफ्ट कापी	पाठ्य सामग्री की हार्ड तथा साफ्ट कापी	
9.	सौंपे गये कार्य के निष्पादन की विस्तृत कार्य योजना	EOI के साथ आवेदक द्वारा जमा की गई कार्य योजना	
10.	प्रस्तावित शिक्षक के गुण	EOI के साथ प्रस्तावित शिक्षकों की सूची (प्रारूप–5 बी. के अनुसार)	

प्रारूप–4, CA प्रमाण पत्र का प्रारूप
(सी.ए. कम्पनी (फर्म) के लेटर हेड में जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स .... के दिए गए विवरण उनके द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज के अनुसार सत्य एवं उचित है।

वर्ष	विषय	दाखिल छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	लाभ (टर्नओवर)
2015–16	कक्षा 10वीं				<< Single Figure >>
2016–17	कक्षा 10वीं				<< Single Figure >>
2017–18	कक्षा 10वीं				<< Single Figure >>
	योग				

टीप–1 :– जिन संस्थाओं के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपलब्ध नहीं हैं, वे वर्ष 2014–15 का विवरण दे सकते हैं।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

CA संस्था का नाम एवं पंजीकरण संख्या

नाम तथा सदस्यता संख्या (सदस्य की)

प्रारूप–5 ए : वर्तमान/कार्यरत शिक्षक

क्र	शिक्षक का नाम	योग्यता	संस्था का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की है।	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत अंक	अनुभव (वर्षो में)	विशेषज्ञता का विषय
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप–5 बी : प्रस्तावित शिक्षक

क्र	शिक्षक का नाम	योग्यता	संस्था का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की है।	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत अंक	अनुभव (वर्षो में)	विशेषज्ञता का विषय
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप :– प्रतिस्थापित शिक्षकों की कटौती मुख्य प्रदर्शन सूचक (KPI-5) के अनुसार होगी।

प्रारूप – 6 वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

(आवेदक के लैटरहेड में जारी किया जाना है)

EOI आमंत्रित किये गये नोटिस के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2018–19 तथा 2019–20 में फांउडेशन प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर के शिक्षको की संस्था के चयन हेतु वित्तीय बोली।

विद्यालयों के नाम जिसके लिए प्रस्ताव जमा किया जाना है :– . . .

क्र	कार्य का नाम	दो अकादमिक वर्षो जैसे 2018–19 और 2019–20 के लिए सभी समावेशी प्रति छात्र समेकित दर GST को छोड़कर, (राशि रूपये में)	राशि शब्दों में
1.	इस EOI में निर्धारित कार्य के क्षेत्र के अनुसार		

टीप :– 1. उपरोक्त उदधृत मूल्य GST को छोड़कर होनी चाहिए।

2. बोली मूल्य जमा किये जाने के बाद 180 दिन तक के लिये वैध होगा।

3. बोली मूल्य में सुधार या अधिलेखन की स्थिति में इसे निरस्त किया जा सकता है।

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पद

कार्यकारी मुहर